[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–20 एच०एल०ए०

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2016 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 9 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"9 आयोग के कृत्य.– आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(i) पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने या निकालने के लिए अनुरोध का परीक्षण करना और किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने बारे शिकायतों की सुनवाई करना और राज्य सरकार को ऐसी मंत्रणा प्रदान करना जो यह समुचित समझे;

(ii) पिछड़े वर्गों के कल्याण और संरक्षण के लिए भारत के संविधान में उपबंधित या तत्समय लागू किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश की अधीन के अधीन विभिन्न सुरक्षापायों के कार्यों का अन्वेषण और परीक्षण करना;

(iii) पिछड़े वर्गों के अधिकारों के हनन और सुरक्षापायों के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकरणों के साथ उठाना;

(iv) पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और मन्त्रणा देना और उनके विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना;

(v) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सुरक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिश करना और राज्य सरकार को प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, रिपोर्ट देना;

(vi) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों, जो विहित किए जाएं, का निर्वहन करना।"।

2016 के हरियाणा अधिनियम 9 में धारा 18 का परिवर्धन।

3. मूल अधिनियम की धारा 17 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"18. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.– इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

(i) पिछड़े वर्ग की आवश्यकताओं और मांगों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, आयोग ने अपने कार्यों के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हेतु अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग को सशक्त बनाने हेतु पर्याप्त संशोधनों की आवश्यकता है। अतः आयोग ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 2016) की धारा 9 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

(ii) हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के लिए किसी भी मुकदमे, उत्पीड़न या अन्य कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मूल अधिनियम की धारा 17 के बाद धारा 18 को जोड़ा जा सकता है। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 (हरियाणा अधिनियम संख्या 34, 2018) की धारा 18 के अंतर्गत भी इसी प्रकार का प्रावधान मौजूद है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 04.08.2023 को आयोजित अपनी बैठक में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 2016) की धारा 9 में संशोधन करने तथा उक्त हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 2016 में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के लिए धारा 18 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा।

(iii) विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

कृष्ण कुमार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और
अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 अगस्त, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016

(हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 2016) से उद्धरण।

आयोग के कृत्य

"9. आयोग नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग में शामिल करने या बाहर करने के अनुरोधों की जांच करेगा और किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जो वह उचित समझे।"

12035—H.V.S.—H.G.P., Pkl.